

क्रमांक एफ 2(768)/सू.प्रौ./संस्था/10/ **ML-7157**

जयपुर, दिनांक **03/04/2024**

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना F. 15(1)FD/Rules/2017 Pt. दिनांक 06.10.2023 के बिन्दु संख्या 2(09) में उल्लेख है कि:—

There shall be no further fixation of pay at the time of regular promotion, if promotion is in the same Pay Level as granted under ACP/MACP, However, if promotion is on the post carrying higher Pay Level than only the pay in that Pay Level in the Pay Matrix shall be fixed at the equal Cell and if there is no equal Cell than at the immediate next Cell.

अतः वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 26.07.2023 के क्रम में यदि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के किसी अधिकारी/कार्मिक को पूर्व में प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी/एमएसीपी का लाभ दे दिया गया है तो उस अधिकारी को क्रमशः प्रथम/द्वितीय/तृतीय पदोन्नति पर पदोन्नति पद के पे लेवल में समान स्टेज के स्थान पर आगामी स्टेज वेतन निर्धारण किया गया है, तो वह नियम विरुद्ध है।

अतः यदि किसी अधिकारी/कार्मिक का उक्तानुसार वेतन निर्धारण किया गया है कि तो नियम विरुद्ध किये गये वेतन निर्धारण को संशोधित कर किये गये अधिक भुगतान की वसूली नियमानुसार करावे।

उक्त वित्त विभाग की आईडी संख्या 212400119 दिनांक 21.02.2024 से अनुमोदित है।


(संजय जगदीश कर्णिक)

संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. संबंधित अधिकारी।
4. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
5. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



प्रशासनिक अधिकारी